बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या–10(एस0एस0)–08–04/2026/.....जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, मसौढ़ी में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (भू–तल) निर्माण के निमित रू0 28,12,000/– (अठाइस लाख बारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, मसौढ़ी में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स (भू–तल) निर्माण के निमित रू0 28,12,000/– (अठाइस लाख बारह हजार रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि मॉडल प्राक्कलन के अनुसार है। मॉडल प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है ।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0105–न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) के लिए स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं0–विपत्र कोड–03–4059800510105 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ0–25/टि0, दिनांक–30.09.2026, सं0सं0–10(एस0एस0)–08–04/2026)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ0–27/टि0, दिनांक–07.10.2026, सं0सं0–10(एस0एस0)–08–04/2026)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 10(एस0एस0)–08–04/2026/8387/जे0, पटना, दिनांक 12.10.26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 10(एस0एस0)–08–04/2026/8387/जे0, पटना, दिनांक 12.10.26

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

P.T.O